



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 19-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026 (MAGHA 15, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग  
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 4 फरवरी, 2026

**संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.-** हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 22 जून, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 22 जून, 2022 में, अनुसूची में, खाना 6 और 7 के नीचे,—

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

6	7
“उपनिदेशक/ संयुक्त निदेशक (महिला कल्याण)	संयुक्त/अपर निदेशक (प्रशासन)”;

- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

6	7
“उपनिदेशक/ संयुक्त निदेशक (एकीकृत बाल विकास योजना)	संयुक्त/ अपर निदेशक (प्रशासन)”;

- (iii) क्रम संख्या 4 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

6	7
"उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (महिला कल्याण)	संयुक्त / अपर निदेशक (प्रशासन)";

- (iv) क्रम संख्या 5 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

6	7
"उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (महिला कल्याण)	संयुक्त / अपर निदेशक (प्रशासन)";

- (v) क्रम संख्या 8 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

6	7
"उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (एकीकृत बाल विकास योजना)	संयुक्त / अपर निदेशक (प्रशासन)";

- (vi) क्रम संख्या 9 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

6	7
"उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (एकीकृत बाल विकास योजना)	संयुक्त / अपर निदेशक (प्रशासन)";

- (vii) क्रम संख्या 10 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

6	7
"उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (एकीकृत बाल विकास योजना)	संयुक्त / अपर निदेशक (प्रशासन)" ।

अनुराग रस्तोगी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**  
**(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)**

**Notification**

The 4th February, 2026

**No. 7/31/2014-3AR.**— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 22nd June, 2022, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 22nd December, 2022, in the Schedule, under columns 6 and 7,-

- (i) against serial number 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Women Welfare)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (ii) against serial number 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Integrated Child Development Scheme)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (iii) against serial number 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Women Welfare)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (iv) against serial number 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Women Welfare)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (v) against serial number 8, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Integrated Child Development Scheme)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (vi) against serial number 9, for the following entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Integrated Child Development Scheme)”	Joint/Additional Director (Administration)”;

- (vii) against serial number 10, for the following entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7
“Deputy/Joint Director (Integrated Child Development Scheme)”	Joint/Additional Director (Administration)”.

ANURAG RASTOGI,  
 Chief Secretary to Government, Haryana.